

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ4(02)(PIL) निसं./आकाशि /2019 /1270

दिनांक 21 नवम्बर, 2019

प्राचार्य/सचिव
समस्त निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- डी.बी.पी.आई.एल. याचिका संख्या 3673/13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य के संबंध में।
संदर्भ :- विभाग का पत्रांक 1216 दिनांक 25.09.19

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत डी.बी.पी.आई.एल. याचिका संख्या 3673/13 राधा शेखावत बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा समस्त महाविद्यालयों में टायलेट एवं यूरिनल्स की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में यह आदेश दिया गया है कि समस्त महाविद्यालयों में शौचालय, यूरिनल्स तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था छात्र-छात्राओं की संख्या एवं स्टाफ (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) के अनुरूप हो एवं शौचालय एवं यूरिनल्स की नियमित (दैनिक) साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जावे।

उक्त के संबंध निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सुविधा उपलब्ध करवाने की पालना करें।

- स्वच्छ पेयजल की सुविधा।
- पेयजल की व्यवस्था शौचालय से दूर हो।
- पानी की टंकी की सफाई का नियमित ध्यान रखा जावे।
- जल की स्वच्छता के लिए अपेक्षित कीटाणुनाशक का प्रयोग किया जावे।
- सह-शिक्षा महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में मानदण्डानुसार शौचालय की व्यवस्था हो।
- शौचालयों में पानी की सुविधा हो साथ ही हाथ धोने की व्यवस्था हो।
- छात्राओं के शौचालय में स्वच्छता के विशेष उपबन्ध के साथ सुरक्षात्मक स्थिति को भी ध्यान में रखा जावे।

अतः उक्त के संबंध आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि छात्र-छात्राओं हेतु महाविद्यालय में मानदण्डानुसार शौचालय एवं यूरिनल्स के निर्माण एवं इनकी नियमित (दैनिक) साफ-सफाई तथा शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने की पालना करे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महाविद्यालयों में उक्त के संबंध में कभी भी निरीक्षण करवाया जा सकता है। उक्त सुविधाओं मानदण्डानुसार व नियमानुसार नहीं पाये जाने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।




(डॉ.अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा राज., जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1 उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

✓ 2 प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।



(डॉ.अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा राज., जयपुर